B-3~~5~~4
L- 32
Polity

दल बदल

मुद्दे :-

संसदीय शासन और दल बदल

• दल बदल अधिनियम के मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

(i) कार्यपालिका को स्थायित्व प्रदान करना।

(ii) सांसदों अथवा विधायकों के दल बदल को प्रतिबंधित करके जनादेश का सम्मान करना

(iii) आम जनता का शासन में भरोसा बनाए रखना क्योंकि सरकार जनता की सेवा के लिए है केवल सत्ता प्राप्त के लिए नही है

(iv) अधिनियम के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है यदि कोई सांसद या विधायक दल बदल करेगा तो उसे संसद अथवा विधानसभा के उस कार्यकाल में मंत्री का पद नही दिया जायेगा।

• आलोचकों का मत है कि दल बदल का प्रावधान शासन में स्थायित्व लाने में विफल रहा और दल बदल रोकने के बजाय सामूहिक दल-बदल होने लगा।

• दल बदल के प्रावधान से संसदीय शासन में होने वाले विचार-विमर्श बाधित हो गए क्योंकि कोई भी सांसद यदि अपने

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

दल के निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी।

- इसीलिए यह कहा जाता है कि दल बदल अधिनियम का प्रभाव संसदीय शासन पर नकारात्मक ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि यह दल-बदल रोकने के बजाय सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही बाधित कर रहा है।

दल बदल और स्पीकर की भूमिका

- 10 वीं अनुसूची के अनुसार दल-बदल के निर्धारण का अन्तिम अधिकार पीठासीन अधिकारी का है
- लेकिन पीठासीन अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष निर्णय देने के बजाय दल के हितों को प्राथमिकता दी गई जिससे पीठासीन अधिकारी ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया।
- स्पीकर ने अपने पद का दुरुपयोग निम्नलिखित रूप में किया -

(i) दल बदल के मुद्दे का निर्धारण ही नहीं किया क्योंकि संविधान में स्पीकर के निर्णय के लिए कोई समय सीमा नहीं है

(ii) अरूणाचल प्रदेश में एक अप्रत्याशित घटना हुई वहाँ विधायकों ने दल बदल से पहले स्पीकर को ही अपने पद से

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

हटाने की नोटिस दे दिया।

(iii) स्पीकर सामान्यत: दल बदल के प्रावधान का प्रयोग तभी करता है जब सदन का सत्र चल रहा है लेकिन यदि सदन का सत्र न हो तब भी दल-विरोधी गतिविधि के आधार पर किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

- स्पीकर द्वारा इन्हीं निर्णयों के परिणाम स्वरूप उच्चतम न्यायालय को दखल देना पड़ा। और उच्चतम न्यायालय ने किहोतो होलोहान वाद में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि दल-बदल का प्रावधान संवैधानिक है इसलिए 52वें संविधान संशोधन को संवैधानिक माना।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- लेकिन न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि दल-बदल के संबंध में स्पीकर के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय के अनुसार स्पीकर के कार्यों को मुख्यता दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-

(i) सदन का संचालन करना

(ii) अर्द्धन्यायिक कार्य के अन्तर्गत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना।

- न्यायालय ने तर्क दिया कि स्पीकर को सदन की प्रक्रिया के निर्धारण का अधिकार है और यदि प्रक्रिया अनियमित है तो

न्यायालय इसकी जांच नही कर सकता लेकिन प्रक्रिया अवैधानिक है तो न्यायालय इसकी जांच करेगा।

- इसलिए महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर भी न्यायालय सुनवाई कर रहा है उच्चतम न्यायालय नाबेम राबिया वाद पर भी पुनर्विचार कर रहा है जिसमें यह कहा गया था कि यदि स्पीकर को अपने पद से हटाने को नोटिस दे दिया जाए तो वह दल बदल के मामलों पर विचार नही कर सकता

- स्पीकर के शक्ति का दुरूपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया है कि दल बदल का निर्धारण स्पीकर के बजाय एक अधिकरण के द्वारा होना चाहिए।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

दल बदल और सांसदो के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

- दल बदल प्रावधान से संसदीय शासन के समक्ष नई चुनौती उत्पन्न हो गयी है क्योंकि दल-बदल को कठोर बना देने से सांसद राजनीतिक दल का गुलाम हो जायेगा और वह जनता के हितों की रक्षा नही कर पायेगा।
- यदि दल-बदल को आसान बनाया गया तो सरकार के समक्ष सदैव अस्थायित्व का खतरा बना रहेगा।

- दल बदल शासन में स्थायित्व के लिए लाया गया था लेकिन उत्तरदायित्व संसदीय शासन का मूल मर्म है। दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए यह प्रावधान किया जा सकता है कि दल बदल का प्रयोग करके सांसदों की आलोचना और असहमति को हतोत्साहित न किया जाए अपितु सरकार को गिरने से रोका जाए।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR IAS

संसदीय विशेषाधिकार

विशेषाधिकार

1. अनुच्छेद-105/194
2. संक्षिप्त उल्लेख
3. सदन के समक्ष दिये गये वक्तव्य के लिए, अथवा मतदान के लिए न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नही होगा

किसे प्राप्त

(i) सांसद
(ii) सदन
(iii) संसदीय समिति

उल्लंघन कौन कर सकता है?

(i) मंत्री/प्रधानमंत्री
(ii) नागरिक
(iii) सांसद

सांसदो

(i) बोलने का
(ii) वोट देने का
(iii) सिविल मामले में हिरासत में नही लिया जायेगा
(iv) गवाही के लिए नही बुलाया जायेगा।

सदन

(i) दर्शकदीर्घा में बैठने एवं निष्कासन
(ii) सदन की कार्यवाही प्रकाशित करने एवं रोकने का अधिकार
(iii) किसी व्यक्ति को दण्डित करना

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

विशेषाधिकार की आवश्यकता :-

- सांसदों के विशेष दायित्व होते हैं जिन्हें प्रभावी रूप में सम्पादित करने हेतु उन्हे विशेषाधिकार दिया जाता है। क्योंकि आम नागरिक केवल अपने मत को प्रकट करता है जबकि सांसद या विधायक जनमत को प्रकट करता है।
- वे अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन भली भांति कर सके इसलिए उन्हें विशेषाधिकार दिया जाता है।
- इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सांसद निर्भीक होकर सदन में प्रश्न पूछ सके सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के लिए उसकी आलोचना करे जिससे कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी रहे।

KGS IAS

विशेषाधिकारों का संक्षिप्त उल्लेख क्यों?

- अनुच्छेद-105 में यह उल्लेखित किया गया है कि समय-समय पर संसद के द्वारा विशेषाधिकारों का निर्धारण किया जायेगा
- इन्हीं विशेषाधिकारों के निर्धारण के लिए संसद के द्वारा विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया है। जो लोकसभा राज्यसभा में अलग-अलग होती है और राज्य की विधानसभाओं में भी विशेषाधिकार के हनन के किसी भी

मुद्दे के निर्धारण के लिए विशेषाधिकार समिति का गठन किया जाता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR